राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर ।

कमांकः एफ5(3)प्राशिनि/ई–2/2017–18/ 17238 – 17435 दिनांक 27/10/2017

प्रधानाचार्य,

....,

....।

विषयः– **प्रथम वर्ष 2017–18 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्देश ।**

महोदय,

विषयान्तर्गत आपका ध्यान निदेशालय के पत्रांक 6902 दिनांक 19.06.2012 की ओर आकर्षित कर लेख है कि आपकी संस्थान में अध्ययनरत् प्रथम वर्ष के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश जो विभागीय की वेबसाईट http://dte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं, का अवलोकन करने के पश्चात् ही तदनुरूप शाखा परिवर्तन की कार्यवाही की जावे ।

शाखा परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित कर, संस्था स्तर पर एक समिति बनाकर नियमानुसार शाखा परिवर्तन के आदेश जारी करें । इन आदेशों को निदेशालय को अनुमोदन हेतु दिनांक 10.11.2017 तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें । **निर्धारित तिथि/अवधि पश्चात् शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें ।**

शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव केवल एक बार एवं संलग्न प्रारूप में ही भिजवाया जाना अनिवार्य **है** । अन्यथा इन प्रस्तावों पर निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

शाखा परिवर्तन योग्यता के आधार पर होगा । योग्यता सूची अभ्यार्थियों के प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर होगी तथा केवल वही छात्र/छात्राऐं शाखा परिवर्तन हेतु योग्य माने जायेगें, जिन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषय उत्तीर्ण किये हों । योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है, उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा । शाखा परिवर्तन से पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को भली–भांति उचित माध्यम से यह अवगत करवाया जावें कि एक बार शाखा परिवर्तन के आदेश जारी होने के पश्चात् आदेश निरस्त नहीं किया जायेगा । ध्यान रहे कि संस्था स्तर की समिति द्वारा अयोग्य विद्यार्थी का शाखा परिवर्तन नहीं किया जावे । **संस्था स्तर पर किया गया शाखा परिवर्तन निदेशालय से अनुमोदन होने के पश्चात् ही मान्य होगा ।**

यदि आप द्वारा निदेशालय की अनुमति के बिना किसी विद्यार्थी का शाखा परिवर्तन कर परिवर्तित शाखा में अध्ययन करवा दिया जाता है तो प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा नई शाखा के अनुसार परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जावेगा । इस सम्बन्ध में विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी संस्था की ही होगी।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

27/10/17

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

दिनांक

कमांकः एफ5(3)प्राशिनि/ई–2/2017–18/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
3. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें, साथ ही समस्त राजकीय/निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को ई–मेल भी करें।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

सत्र 2017–18 में शाखा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों की शाखावार सूची

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम:–...।

प्रारूप–1

सत्र 2017–18 में शाखा परिवर्तन हेतु आवेदक समस्त विद्यार्थियों का विवरण:–

क्र0 सं0	एस.पी.एन. नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम वर्ष			वर्तमान शाखा	चाही गई शाखा
			प्राप्तांक	अधिकतम अंक	प्रतिशत अंक		

प्रारूप–2

सत्र 2017–18 में नियमानुसार शाखा परिवर्तन का विवरण:–

क्र0 सं0	एस.पी.एन. नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम वर्ष के प्रतिशत अंक	वर्तमान शाखा	चाही गई शाखा

प्रारूप–3

शाखा परिवर्तन के पश्चात् शाखावार विद्यार्थियों की स्थिति :–

क्र0 सं0	शाखा	प्रवेश क्षमता	शाखा परिवर्तन से पूर्व पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	शाखा परिवर्तन के पश्चात् विद्यार्थियों की संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि सभी आवेदन पत्रों की जॉच कर ली गई है। द्वितीय वर्ष में शाखा परिवर्तन चाहने वाले विद्यार्थी प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं। शाखा परिवर्तन नियमानुसार किया गया है। सभी आवेदक विद्यार्थियों की डाउनलोडेड अंकतालिका संलग्न है।

हस्ताक्षर
समिति सदस्य

हस्ताक्षर
समिति सदस्य

हस्ताक्षर
समिति सदस्य

उक्त शाखा परिवर्तन निदेशालय को अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं। प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय के अनुमोदन के पश्चाात् ही परिवर्तित शाखा में विद्यार्थियों को अध्ययन की अनुमति दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
(हस्ताक्षर मय सील)

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के इंजिनियरिंग पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के

शाखा परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र

1.	संस्थान का नाम	
2.	छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में)	
	(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
3.	पिता का नाम	
4.	क्या आपका प्रवेश स्ववित्त पोषित सीट पर हुआ है ? हॉ/नहीं अंकित करें।	
5.	स्थायी पता	
6.	छात्र/छात्रा का वर्ग	
7.	कक्षा एवं शाखा	कक्षा.................शाखा................
8.	नामांकन संख्या (SPN)	................../..................
9.	डिप्लोमा प्रथम वर्ष का परिणाम	कुल प्राप्तांक.............. प्रतिशत ....
10.	शाखा जिसमें छात्र/छात्रा शाखा परिवर्तन चाहते हैं।	(वर्तमान शाखा)
		(इच्छित शाखा)
11.	शाखा परिवर्तन चाहने का कारण	

–: छात्र / छात्रा द्वारा घोषणा :–

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त शाखा परिवर्तन हेतु मैंने अपने पिता/अभिभावक से अनुमति प्राप्त कर ली है एवं शाखा परिवर्तन के आदेश जारी होने पर मैं उसकी अनुपालना करूंगा/करूंगी।

दिनांक ....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु संस्थान का नाम ....

छात्र के प्रार्थना पत्र की जांच की गई उसके द्वारा दिया गया विवरण सही है। छात्र राज्य सरकार द्वारा शाखा परिवर्तन के संबंध में जारी नियमानुसार शाखा .... से शाखा .... में शाखा परिवर्तन हेतु पात्र होने से उक्तानुसार शाखा परिवर्तन किया जाता है।*/ पात्र नहीं होने से उक्तानुसार शाखा परिवर्तन संभव नहीं है।*

दिनांक ....

प्रधानाचार्य

नोट :–

1. विद्यार्थी अपना नाम/नामांकन / SPN तथा शाखा पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित करें।
2. शाखा परिवर्तन के आवेदन–पत्र निदेशालय को अग्रेषित नहीं करें परन्तु शाखा परिवर्तन की सूची का अनुमोदन निदेशक, प्राविधिक शिक्षा से करवाना आवश्यक है।
3. छात्र का शाखा परिवर्तन आदेश एक बार जारी हो जाने के पश्चात उसे निरस्त नहीं किया जायेगा।
4. एक ही सत्र में ब्रांच परिवर्तन एवं अन्य पॉलिटेक्निक में स्थानान्तरण सम्भव नहीं होगा।
5. नॉन इंजिनियरिंग पाठ्यक्रमों में शाखा परिवर्तन नहीं होगा।

* जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्रधानाचार्य